निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण 1938 (श0)

(सं0 पटना 1012) पटना, मंगलवार, 29 नवम्बर 2016

सं० 08/आरोप–01–139/2014–13915सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
7 अक्तूबर 2016

श्री रणजीत प्रसाद सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–740/08, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काको, जहानाबाद के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के ज्ञापांक–1149 दिनांक 15.09.2008 द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्राप्त हुआ जिसके लिए श्री सिंह को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7546, दिनांक 04.08.2010 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक–8862, दिनांक 08.09.2010 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–3170, दिनांक 22.02.2013 द्वारा श्री सिंह से लिखित अभिकथन माँगी गयी। इस क्रम में श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने, अभिलेख का सही ढंग से संधारण नहीं करने, कार्यान्वयन में प्रक्रियात्मक चूक तथा अन्य गंभीर आरोप प्रमाणित पाया गया। तत्पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त हुई। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–17213, दिनांक 04.11.2013 द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त करते हुए उन्हें **''संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियों पर रोक''** का दंड संसूचित किया गया। इसके साथ ही निलंबन अवधि के वेतनादि के संबंध में अलग से निर्णय लिये जाने का आदेश भी पारित किया गया। कालान्तर में श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5919, दिनांक 20.04.2015 द्वारा अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प–17213, दिनांक 04.11.2013 द्वारा अधिरोपित शास्ति यथावत् रखी गयी।

3. श्री सिंह के निलंबन अवधि के वेतनादि भुगतान के संबंध में निर्णय हेतु विभागीय पत्रांक–9219 दिनांक 25.06.2015 एवं स्मार पत्रांक–1216 दिनांक 25.01.2016 द्वारा कारण पृच्छा की गयी। इस क्रम में श्री सिंह ने अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 18.03.2016) समर्पित किया। जिसमें उन्होंने संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं० 14, 17, एवं 20 को पूर्णतः प्रमाणित नहीं पाये जाने तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक–17213, दिनांक 04.11.2013 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियों पर रोक का दंड अधिरोपित किये जाने के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि अब निलंबन अवधि का वेतन रोककर उन्हें नया दंड नहीं दिया जाय। श्री सिंह का स्पष्टीकरण सम्यक विचारोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. सम्यक् विचारोपरांत श्री सिंह के निलंबन अवधि (दिनांक 04.08.2010 से दिनांक 04.11.2013 तक) को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :–

''निलंबन अवधि के लिए 75 प्रतिशत वेतन एवं भत्ता देय होगा तथा अन्य प्रयोजनों के लिए उक्त अवधि सेवा अवधि मानी जायेगी।''

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1012-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in